

दिनांक 01.06.2022 को सचिव, खनन विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति:-

1. श्री राजेन्द्र सिंह पतियाल, संयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास (खनन) विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री एस0एल0 पैट्रिक, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड।
3. श्री राजपाल लेघा, अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड।
4. श्री अनिल कुमार, संयुक्त निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड।
5. श्री सुनील पंवार, संयुक्त निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड।
6. श्री दीपक जोशी, अनुभाग अधिकारी, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों के साथ दिनांक 6.5.2022 को सम्पन्न समीक्षा बैठक में लिये गये निर्णयों की बिन्दुवार समीक्षा के उपरान्त सचिव, खनन विभाग द्वारा पूर्व कार्यवृत्तानुसार नियत समयावधि के भीतर कार्यवाही सुनिश्चित कर लिये जाने का अनुपालन भविष्य में अक्षरशः किये जाने हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई एवं सम्बन्धित उपस्थित अधिकारियों तथा ऑनलाईन माध्यम से जुड़े खान अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये गये तथा शासन स्तर से निर्धारित समयसीमा में निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने की दशा में विभागीय कार्यवाही अमल में लाये जाने की हिदायत दी गयी। इसके अतिरिक्त बैठक में जनपद देहरादून के जिला खान अधिकारी की अनुपस्थिति तथा सभी जनपदों के खान अधिकारियों की आनलाईन उपस्थिति न होने तथा उपस्थित कतिपय अधिकारियों द्वारा बैठक में सही प्रकार से सामंजस्य व संतोषजनक उत्तर न देने, शासन के आदेशों की अनदेखी किये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा उक्त कृत्यों को गम्भीरता से लेते हुये ऐसे अधिकारियों का तत्काल स्पष्टीकरण प्राप्त कर भविष्य के लिये सचेत किये जाने हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को निर्देशित करते हुये बैठक में निम्न निर्णय लिये गये:-

1. दिनांक 6.05.2022 को सम्पन्न समीक्षा बैठक में लिये गये निर्णयानुसार बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 12.5.2022 के समस्त निर्णयों के अनुरूप बिन्दुवार (बिन्दु संख्या-8 व 16 को छोड़कर) निर्धारित समयावधि के भीतर अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण कर सभी बिन्दुओं की प्रगति आख्या तत्काल शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को निर्देशित किया गया।
2. विशेषकर पूर्व बैठक दिनांक 6.5.2022 के बिन्दु संख्या-5 व 6 के सम्बन्ध में सभी उपस्थित विभागीय अधिकारियों एवं जनपद के सभी जिला खान अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अवैध खनन, परिवहन व भण्डारण के दिनांक 31.03.2022 तक अधिरोपित जुर्माने के ऐसे मामलों, जिनमें मा0 उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी सक्षम न्यायालय आदि से कोई स्थगन आदि प्राप्त नहीं है, में सम्बन्धित अधिरोपित संचालक/स्वामी से जुर्माने की राशि 15 दिवस के भीतर वसूले जाने की कार्यवाही की जाय, अन्यथा की स्थिति में ई-रवन्ना पोर्टल को बन्द करने तथा आर0सी0 आदि काटने की कार्यवाही अमल में लायी जाय। अवैध खनन, परिवहन व भण्डारण से सम्बन्धित जुर्मानों के ऐसे प्रकरणों, जिनमें मा0 न्यायालय द्वारा स्थगनादेश अथवा अन्य कोई आदेश पारित हैं, में सम्बन्धित स्थगनादेश/आदेश को Vacate व Expedite करने हेतु प्रभावी कार्यवाही के लिये निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को निर्देशित किया गया।
3. बैठक में शासन स्तर से स्वीकृत समतलीकरण, रिसाइक्लिंग टैंक, मत्स्य पालन, तालाब निर्माण से सम्बन्धित अनुज्ञाओं की जनपदवार समीक्षा के उपरान्त सभी जिला खान अधिकारियों से प्राप्त स्थलीय निरीक्षण की आख्या के आधार पर समेकित विवरण उपलब्ध कराये जाने हेतु विभागीय निदेशक एवं अनुभाग को निर्देशित किया गया।

बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन


औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1

संख्या- 761/VII-A-1/2022/8(05) 2019

देहरादून, दिनांक: 9 जून, 2022

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रतिभागी अधिकारीगण।
2. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
संयुक्त सचिव